

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2003

दिनांक 07/09/2022

प्रार्थीगण :-

1.शंकराराम 2.रिड़मलराम पि. तगाराम
जाति मेगवाल, निवासी चूली डूंगरी
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. चुतराराम पुत्र आदूराम 2.भारूराम 3.घमूराम
पि.लाखाराम, जाति जाट 4.नारायणसिंह पुत्र
भंवरसिंह, जाति राजपूत 5.सवाईराम 6.देवाराम
पि.बिदाराम, जातियान मेगवाल, निवासी चूली
डूंगरी, तहसील चौहटन 7.बरजांग 8.सुर्जनराम
9.मोबताराम पि.सवागाराम 10.मोतीराम
11.सोनाराम 12.हीराराम पि. धनाराम, जाति भील,
निवासी खारीया, तहसील रामसर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 202/2018

दिनांक : 07.09.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र चौहटन के मौजा चूलीडूंगरी के खेत खसरा सं. 435/1 रकबा 92.00 बीघा, खसरा सं. 1 रकबा 92.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 2004 to 2007
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण शंकराराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण चुतराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 07/09/2022



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन